मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड,

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
शक्ति भवन, ब्लॉक नं.–9, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)–482 008
फोन नं. 0761–2702615, फेक्स – 0761–2665805

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/अनु.नीति/4796 जबलपुर, दिनांक 12.12.2014

परिपत्र

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 3–29/2013/तेरह दिनांक 01.11.2014 द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की 76वीं बैठक में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की "अनुकम्पा नियुक्ति नीति–2013" के प्रावधानों में यथावश्यक संशोधन कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

आदेशानुसार,

(ए.के. अवस्थी)
कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.,जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/अनु.नीति/4797 जबलपुर, दिनांक 12.12.2014

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉ.ट्रांस./मैने.कं.लि., जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक (संचा.संधा.–उत्पा.)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभियांत्रिकी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
5. मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.–जलविद्युत)/(परि.–उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/(उत्पा.) संगांताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/इंदौर ।
9. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल ।
10. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
11. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर
12. अति. मुख्य अभि.(उत्पा–भंडार)/(सीएस)/(सिविल) सर्वे.एवं अन्वे.–जलविद्युत वृत्त/(टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
13. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., भोपाल ।
14. मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सालय, म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर ।
15. मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, कंपनी चिकित्सालय, अताविगृ/सताविगृ/संगांताविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., चचाई/सारनी/बिरसिंहपुर ।

क्रमशः––2/

16. अधीक्षण अभियंता (उत्पा.), गांधीसागर/पेंच/राअबासा/राजघाट/मड़ीखेड़ा/बाणसागर–II/III/IV जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., गांधीसागर/तोतलाडोह/बरगीनगर/चंदेरी/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना ।
17. संयुक्त सचिव–एक/कंपनी सचिव, कार्या.–कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
18. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी/(सीओजी एण्ड एचएस)/संगांताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/ खण्डवा/सिरमौर ।
19. निज सचिव/निज सहायक सम्बद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।

–को ''संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013'' (पृष्ठ 08) की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव–दो,
कार्या.–कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.कं.लि.,जबलपुर

ALI/SHRI/ANU-POLY/FINAL/9-10

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
शक्ति भवन, रामपुर
जबलपुर

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति की नीति – 2013

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति की नीति – 2013

कंपनी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1– अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति

1.1 मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी में कार्यरत (1) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ऐसे कार्मिक जो राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10–04–2012 के द्वारा म.प्र.पॉ.जनरेटिंग कंपनी को अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित हुए हैं एवं कंपनी में ही कार्यरत हैं या (2) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा नियुक्त कंपनी के कार्मिकों की कंपनी के सेवाकाल में मृत्यु हुई हो, के आश्रितों को कंडिका 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।

1.2 10 अप्रेल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात्, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी के ऐसे कार्मिक जिनकी मंडल/कंपनी का कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, के आश्रितों को कंडिका 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी । कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों को, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य मृत्यु के प्रकरणों के ऊपर प्राथमिकता दी जावेगी तथा दुर्घटना मृत्यु के आवेदनों पर विचार किये जाने के उपरान्त ही अन्य प्रकरणों पर विचार किया जावेगा । विद्युत कंपनियों के ऐसे कार्मिक, जिनकी म.प्र.रा.वि.मं. की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि में मृत्यु होती है, उनके आश्रित को भी अनुकम्पा नियुक्त की नीति के प्रावधान अनुसार पात्रता दी जावेगी ।

2– अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता

2.1 कण्डिका 1 के अंतर्गत वर्णित परिस्थिति अनुसार दिवंगत ऐसे कार्मिक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति को, अथवा

2.2 दिवंगत कंपनी सेवक का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री दिवंगत कंपनी सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो।

2.3 एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होने पर दिवंगत कंपनी सेवक की पत्नी/पति की सहमति एवं पति/पत्नी के न होने पर परिवार की सर्वसम्मति से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार की सहमति न होने पर विभाग प्रमुख (मा.संसा.), विभाग प्रमुख (वित्त एवं लेखा) एवं संबंधित कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता की समिति द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाये।

3– अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्त

3.1 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह कंपनी में प्रचलित नियमानुसार नियुक्ति के लिए चिन्हित पदों हेतु आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

3.2 कंपनी सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

3.3 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवक अथवा शासन के निगम, मंडल, परिषद, आयोग, कंपनी आदि में नियोजित हो तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।

3.4 यदि किसी कंपनी सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद हुई हो तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।

3.5 दिवंगत कार्मिक के परिवार का अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य यदि केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम, मंडल, परिषद, आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।

3.6 दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो अथवा बाह्य स्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हो तो ऐसे कार्मिक के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।

3.7 कंडिका 1.2 में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को छोड़कर शेष पूर्व के अस्वीकृत, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा ।"

3.8 दिवंगत कार्मिक के परिवार को कण्डिका 2.1 से 2.3 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

3.9 : दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के पुराने प्रकरणों के लिए संशोधित आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी, तथापि आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक पूर्ववर्ती दुर्घटना नियुक्ति के प्रकरणों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे । आगामी स्थिति में यथानुसार आवेदन दुर्घटना दिनांक से छः माह तक स्वीकार किये जावेंगे ।

4 – अनुकंपा नियुक्ति के पद

4.1 कंपनी की अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत निम्न पदों पर ही पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

(अ) तृतीय श्रेणी –

नियमित पद	संविदा पद
कार्यालय सहायक/कनिष्ठ शीघ्रलेखक	निरंक
संयंत्र सहायक	
फायरमेन	
फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स/नर्स कम मिड वाईफ	

(ब) चतुर्थ श्रेणी –

नियमित पद	संविदा पद
महिला परिचारक/लेब अटेंडेट/भृत्य	संयंत्र परिचारक–कम्पनी की संगठनात्मक संरचना में शासन से स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त पदों को सूची में परिवर्तन करने का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को होगा।

4.2 अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों में आश्रितों को पद के अनुसार न्यूनतम अर्हता योग्यता, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के अन्य न्यूनतन मापदंडों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी ।

4.3 तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जायेगी।

4.4 यदि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं तो कंडिका 4.1 (अ) एवं (ब) में वर्णित संविदा पदों पर योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

4.5 अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित पद के रिक्त पद पर ही दी जा सकेगी।

5 – अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं एवं शिथिलीकरण

5.1 मृतक कंपनी कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश के बाहर के राज्य एवं केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर योग्यता हासिल की हो, किंतु कंपनी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम योग्यता होने पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

5.2 भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया से अनुकंपा नियुक्ति में छूट होगी।

5.3 अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक कंपनी सेवक की पत्नी के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेगी। अन्य आश्रित पात्र को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में आठ वर्ष की छूट दी जाएगी।

5.4 दिवंगत कंपनी सेवक पत्नी/आश्रित के लिए तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिक (लिपिक वर्गीय) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जायेगा।

5.5 दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात् के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में "अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013" के समान ही अधिकतम आयु सीमा मृतक सेवक की पत्नि/पति के मामले में कंडिका 5.3 के अनुसार यथावत् पूर्णतः शिथिल रहेगी । परन्तु नये आश्रित पात्र को भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा में दुर्घटना मृत्यु दिनांक से नीति जारी होने की तिथि अथवा 8 वर्ष, जो भी अधिक हो, की छूट दी जावेगी ।

6 – अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

6.1 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार में कोई पात्र वयस्क सदस्य नहीं है तो ऐसे सेवक की मृत्यु दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, इसके पश्चात् अगर कोई वयस्क होता है तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

7 – अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन सामान्यतः दर्शाये परिपत्र के परिशिष्ट – एक के अनुसार उस संभाग के संभागीय कार्यपालन यंत्री/कार्यालय प्रमुख जिसमें दिवंगत कंपनी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत् था, को प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 संभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदनों को इस परिपत्र में वर्णित नियमों के अंतर्गत पूर्ण परीक्षण करते हुए वृत्त के अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख को अग्रेषित किया जायेगा।

7.3 वृत्त के अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख द्वारा इस परिपत्र में वर्णित नियमों के अंतर्गत आवेदनों का पूर्ण परीक्षण करते हुए ताप/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को अग्रेषित किया जायेगा ।

7.4 ताप/जल विद्युत गृह/मुख्यालय के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत रहेंगे। इस हेतु कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता अपने कार्यालय में निम्न दो जानकारियाँ अद्यतन स्थिति में संधारित करेंगे :–

(अ) अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र पदों की ताप/जल विद्युत गृह/मुख्यालय के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति।

(ब) अनुकंपा नियुक्ति हेतु ताप/जल विद्युत गृह/मुख्यालय के अंतर्गत प्राप्त पात्र आवेदनों की मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार पंजी ।

7.5 अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध होने पर ताप/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता व्दारा ऐसे रिक्त पद जिस वृत्त में स्थित हैं उसके अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख को नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति दी जायेगी। ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर संबंधित अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख द्वारा नियमानुसार सभी शर्तों को वर्णित करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

7.6 सामान्यतः अनुकंपा नियुक्ति क्षेत्र में उपलब्ध पात्र नियमित रिक्त पदों पर दी जायेगी। ऐसे रिक्त नियमित पद उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्र रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।

7.7 कंपनी मुख्यालय के मानव संसाधन एवं प्रशासन अनुभाग द्वारा ताप/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता कार्यालय में रिक्त पदों की स्थिति एवं उपलब्ध आवेदनों की सूची की सतत् समीक्षा की जायेगी। एक विद्युत गृह में पद उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे विद्युत गृह/कम्पनी मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कंपनी मुख्यालय का मानव संसाधन एवं प्रशासन अनुभाग आवेदनों को स्थानांतरित कर सकेगा। कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता कार्यालय या कंपनी मुख्यालय के किसी पात्र दिवंगत कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन क्रमशः ताप विद्युत गृह/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को एवं कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को प्रस्तुत किया जायेगा । कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन ऐसे परिवार के द्वारा दिये गये विवरण अनुसार संबंधित ताप विद्युत गृह/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

7.8 जो कंपनी सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रित को सामान्यतः क्रमानुसार पहले नियुक्ति दी जायेगी। अगर दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को नियुक्ति संबंधी प्रकरण में कोई जाँच विचाराधीन है तो उसके लिए पद सुरक्षित रखकर अन्य दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को वरीयता सूची के अनुरूप नियुक्ति दी जायेगी।

7.9 आवेदक स्वयं एक विद्युत गृह से दूसरे विद्युत गृह में अपने आवेदन को स्थानांतरित करवाना चाहता हो तो दूसरे विद्युत गृह में उसका आवेदन वरीयता सूची में तत्समय उपलब्ध सबसे अंतिम स्थान पर दर्ज किया जायेगा।

7.10 आवेदन अग्रेषित/निर्णीत करने की समय–सीमा निम्नानुसार रहेगी :–

क्रमांक	कार्यालय	समयसीमा
1	संभागीय कार्यालय	15 कार्य दिवस
2	वृत्त कार्यालय	10 कार्य दिवस
3	कार्य.निदे./मुख्य अभियंता	रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार

7.11 यदि कंपनी के किसी भी कार्यालय में कंडिका 3.2 एवं 6.1 के प्रावधान अनुसार पद रिक्त न हो एवं दिवंगत परिवार ने कंडिका 8.1 के अनुसार कोई विकल्प न दिया हो तो कंपनी में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र देकर आवेदन नस्तीबद्ध किया जायेगा।

7.12 कंपनी कार्य के दौरान आकस्मिक दुर्घटना, कार्य के दौरान हमलावरों द्वारा हत्या या कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी एवं संबंधित ताप/जल विद्युत गृह के कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता द्वारा कण्डिका 7.4 (ब) के अनुसार कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी में लम्बित आवेदनों की सूची में सबसे अग्रिम क्रमांक पर इन्द्राज किया जायेगा। ऐसे एक से अधिक प्रकरण आने की स्थिति में उनको घटना दिनांक के अनुसार क्रम में लाभ दिया जायेगा।

7.13 अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की स्थिति में, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के तहत कंपनी में अंतरित एवं कार्यरत ऐसे दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिनांक से पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01–07/छः/सीएफए/4822 दिनांक 05.08.2006 के अनुसार अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जायेगा।

8– पद उपलब्ध न होने पर कार्यवाही

8.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद रिक्त न होने पर एवं आवेदक को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01–07/छः/सीएफए/4822 दिनांक 05.08.2006 के अनुसार अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान न किया गया हो तो लिखित सहमति देने पर मृतक कर्मचारी को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर मृतक कर्मचारी के पति/पत्नि या उनके न होने पर उनके परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर मृतक कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन दिया जाय । इस प्रकार दिये जाने वाला वेतन 05 (पाँच) वर्ष तक अथवा मृतक कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति दिनांक तक, जो भी पहले हो, जारी रखा जाय । यह राशि संबंधित कार्यालय व्दारा वेतन मद से आहरित की जायेगी । यह सुविधा तभी दी जाये अगर मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो ।

8.2 कंडिका (8.1) का लाभ लेने वाले परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

8.3 इस परिपत्र में वर्णित शर्तों के अधीन यदि दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु भी नही होने पर एवं कंडिका (8.1) में वर्णित योजना का लाभ नहीं लिये जाने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एकमुश्त रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की अनुकंपा सहायता प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जायेगा। यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जायेगी।

9— कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधान

9.1 कार्यभारित निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर तथा इस परिपत्र के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं अर्हता रखने पर उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर एकमुश्त रू. 1,00,000/— (रूपये एक लाख मात्र) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जायेगी । उसमें ग्रेच्युटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय के अंतर्गत वेतन मद से किया जायेगा।

10— वचन—पत्र/शपथ पत्र

10.1 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य कंडिका 3 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत् अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक से शपथपत्र लिया जाये ।

10.2 दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन—पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण—पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसके परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण—पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11 — अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

11.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति देने के पश्चात् किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

11.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी।

11.3 नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा परन्तु दिवंगत कंपनी सेवक की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी ।

11.4 बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा। अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् ही बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।

11.5 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में दो से अधिक जीवित संतान होने पर अपात्रता संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी—3/4/1/3/2006 दिनांक 18/08/2008 लागू नहीं होगा।

11.6 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में समय सीमा का पालन न करने या उनके निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

संलग्न : परिशिष्ट—एक

(ए.के. अवस्थी)
कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर

ALI/SHRI/ANU.NIYU./FINAL-ANU.POLY./5-12-14

परिशिष्ट – एक

<u>अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. दिवंगत कार्मिक का पूर्ण नाम ....
2. दिवंगत कार्मिक के पिता/पति का नाम ....
3. पदनाम ....
4. दिवंगत कार्मिक की कर्मचारी संख्या ....
5. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का दिनांक ....
6. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का कारण
   (i) क्या कर्मचारी की मृत्यु कंपनी/मण्डल के कार्य के दौरान हुई है ? यदि हॉ तो नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
7. कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत कार्मिक पदस्थ था/थी ....
   ....
8. आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....
9. दिवंगत कार्मिक से संबंध ....
10. स्थायी पता ....
    ....
11. वर्तमान पता ....
    ....
12. जन्म तिथि .... अंकों में ....
    शब्दों में ....
13. आवेदन दिनांक पर आयु – वर्ष/माह/दिन ....
    ....
14. जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) ....
    ....
15. शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
16. अन्य अर्हताओं का विवरण ....
17. दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति :–

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत कार्मिक से संबंध	यदि सेवारत हों तो उसका विवरण, कंपनी/अर्द्ध–शासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/ असहमति	सहमति/ असहमति हेतु हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5		6	7
1							
2							
3							
4							
5							

घोषणा – पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व.श्री .... (दिवंगत कार्मिकका नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करुगां/करूगीं। बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

....

स्थान – .... आवेदक/आवेदिका के

दिनांक – ....

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये सम्पूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है ।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार, आय एवं संमत्ति का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है ।
3. मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही, दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

(जहां दिवंगत कंपनी सेवा कार्यरत था/थी)

नाम ....

कार्यालय का नाम ....

....

टीप – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावे ।

(1) दिवंगत कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र ।

(2) शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र ।

(3) जन्म तिथि प्रमाण पत्र ।

(4) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवास होने का प्रमाण पत्र ।

(5) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण पत्र।

(6) कंडिका 17 में दर्शाये गए परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सक्षम नोटरी द्वारा प्रमाणित सहमति/अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र ।

———